

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 1995 (फाल्गुन 19, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री मछली पालन, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री जालमसिंह पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य, दुर्ग जिले में डोलोमाइट के खनन में रायल्टी की छोटी से शासन को हो रही हानि की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम हरदी में दो महिलाओं की हत्या से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम जैतपुर में विभागीय लोगों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बनवारी लाल अप्रवाल, भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गीरी शंकर रोजवार, सदस्य, मुरैना जिले के कराहल धाना कर्मियों द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ धाने में बलात्कार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, जयकरण साकेत, सदस्य, छतरपुर में जिलाध्यक्ष के निर्देश पर हुए लाठी चार्ज से कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री शिव प्रताप सिंह (सुरजपुर), सदस्य, सरगुजा जिले के अनेक क्षेत्रों में कोयले के चूर्ण से बीमारी फैलने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में फर्जी अंक सूचियों का मामला पकड़े जाने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, सतना जिले में अनेक गांवों के नक्शे गायब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खैरा में एक परिवार को प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, सर्वश्री कैलाश चावला, जगदीश देवड़ा, सदस्य, मंडसौर जिले के भानपुरा शाखा के बैंक अधिकारियों के साथ मारपीट होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, धार जिले की मान परियोजना कार्य में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री बालेन्दु शुक्ल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यमंत्री पंचायत का वक्तव्य

श्री रामनिवास रावत, राज्यमंत्री पंचायत, दिनांक 9 मार्च, 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 31) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देगे.

निर्धारित
समय

6. वर्ष 1995-96 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

2 घन्टे	(1) मांग संख्या 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
	मांग संख्या 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
	मांग संख्या 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
	मांग संख्या 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
2 घन्टे	(2) मांग संख्या 10	वन
	मांग संख्या 77	वन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें ..
	मांग संख्या 21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें
	मांग संख्या 25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

7. अशासकीय संकल्प

- (1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
- 15 मि. " यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि सीवा-जबलपुर शटल में एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाकर फास्ट पैसेंजर के रूप में भोपाल तक चलाई जाय."
- (2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
- 15 मि. " इस सदन का यह मत है कि राष्ट्रीयकृत मांगों पर निजी बस मालिकों को बस संचालन हेतु परमिट जारी किये जायें."
- (3) श्री गोविन्द मिश्रा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
- 30 मि. " इस सदन का यह मत है कि श्रम न्यायालयों में श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति का पैसा, जमा दिनांक से फैसला होने तक की अवधि का, ब्याज सहित भुगतान करने का प्रावधान नियमों में किया जाये."
- (4) श्री मुनीराम साहू, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
- 30 मि. " इस सदन का यह मत है कि शासन ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर रियायती दर पर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करे."
- (5) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
- 30 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये."

भोपाल :
दिनांक : 9 मार्च, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा